भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur
डी–148, आर. एस.ई.बी. सब–स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर–302021
D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021
दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल /E-mail : jai@nhai.org

क्रमाक- भाराराप्रा/जय/सीकर/एन.एच. 52/2025-26/ 1575

दिनांक 17.07.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

Invitation Of Public Comments

विषयः- निर्माणाधीन 765 केवी डी/सी भड़ला III सीकर II ट्रांसमिशन लाइन (भाग III) द्वारा जयपुर-बीकानेर (एनएच-52) के क्रॉसिंग चेनेज (338 किमी - 340 किमी) पर ओवरहेड क्रॉसिंग की अनुमति के संबंध में।

Sub.:- Regarding permission for overhead crossing of Jaipur-Bikaner (NH-52) at crossing chainage (338 km - 340 km) by under construction 765 kV D/C Bhadla III Sikar II Transmission Line (Part III).

Ref:-(1) M/s PBTL, Sikar letter no 579 dated 03.07.2025
(2) RO, Jaipur letter no. 977 dated 01.07.2025
(3) This office letter no. 944 dated 06.06.2025
(4) M/s PBTL, Sikar letter no. 489 date 06.05.2025

महोदय,

सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है कि प्रबंधक (पीबीटीएल), भड़ला-III सीकर-II ने पत्र दिनांक 06.05.2025 द्वारा के विषयगत कार्य के लिए प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय भाराराप्रा जयपुर ने 25.10.2024 के पत्र के माध्यम से पीआईयू को राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ और आर-पार सार्वजनिक और औद्योगिक उपयोगिता सेवाओं के आवेदन को 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में टिप्पणियों के लिए रखने का निर्देश दिया है।

It is to inform all concern that Manager (PBTL),Bhadla-III Sikar-II letter dated 06.05.2025 has submitted a proposal for the subjected work. Further, Regional office NHAI Jaipur vide letter dated 25.10.2024 has directed PIU's to put out the application of Public and Industrial Utility Services along and across National Highway in the public domain for 30-days for seeking comments.

2. मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015 एस एण्ड आर(आर) दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार *"दावों और आपत्तियों (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) के लिए आवेदन को 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।"*

As per para-4 of Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015S&R(R) dated 22.11.2016 "The application shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest)"

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त प्रस्ताव पर जनता की टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं तथा इन्हें अपलोड करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित पते पर पहुंच जाना चाहिए, इसके बाद किसी भी टिप्पणी पर विचार नहीं किया जाएगा।

In view of above, the comments of public are invited on captioned proposal and the same should reach to below mentioned address till 30 days from the date of uploading, beyond which no comments will be considered.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग **प्राधिकरण**
परियोजना कार्यान्वयन इकाई-जयपुर
डी-148, आरएसईबी सब स्टेशन के पीछे,
वैशाली नगर जयपुर (राज.) -302021
फोनः 91-141-4026465, ईमेलः-Jai@nhai.org

National Highways Authority of India
Project Implementation Unit-Jaipur
D-148, Behind RSEB Sub Station,
Vaishali Nagar Jaipur(Raj.)-302021
Phone: 91-141-4026465, E-mail: Jai@nhai.org

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पकाई-जयपुर

प्रतिलिपि-

1. वेब एडमिन, एनएचआई ,मुख्यालय, नई दिल्ली- एनएचआई वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
   Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi – for uploading in NHAI's website
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
   Director, NIC, New Delhi – for uploading in Ministry's website
3. क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
   Regional Officer, NHAI Jaipur for information please.
4. प्रबंधक (पीबीटीएल), भड़ला-III सीकर-II को सूचनार्थ प्रेषित।
   Manager (PBTL), Bhadla III Sikar II for information.